न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कासगंज।

प्रकीर्ण वाद सं0—660 / 2022

रितु सोलंकी———तत्कालीन थानाध्यक्ष सिढ़पुरा आदि।

सी0एन0आर0 सं0—यू0पी0के0आर0—040247522022

05.12.2022

पेश किया गया। पुकार पर आवेदिका व उसके विद्वान अधिवक्ता अनुपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया, जिसके अनुसार पत्रावली आज सुनवाई हेतु नियत है, किन्तु आवेदिका विगत कई तिथियों से न्यायालय उपस्थित नहीं आ रही है और आज भी अनुपस्थित है। कोई स्थगन प्रार्थनापत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदिका को प्रस्तुत मामले की कार्यवाही को अग्रसारित किये जाने में कोई रूचि नहीं रह गई है। प्रार्थनापत्र पर बल देने हेतु आवेदिका की ओर से कोई उपस्थित नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रार्थनापत्र पर आवेदिका की ओर से प्रार्थनापत्र पर बल न देने के कारण प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा—166ए(सी) भा0दं0सं0 निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदिका का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा—166ए(सी) भा0दं0सं0 बल न देने के कारण निरस्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
जनपद कासगंज।
(J.O. Code No. UP 1815)

Digitally signed by Abhay Pratap Singh II
Date: 2022.12.05 16:02:13 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court